महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा की योजनाएं

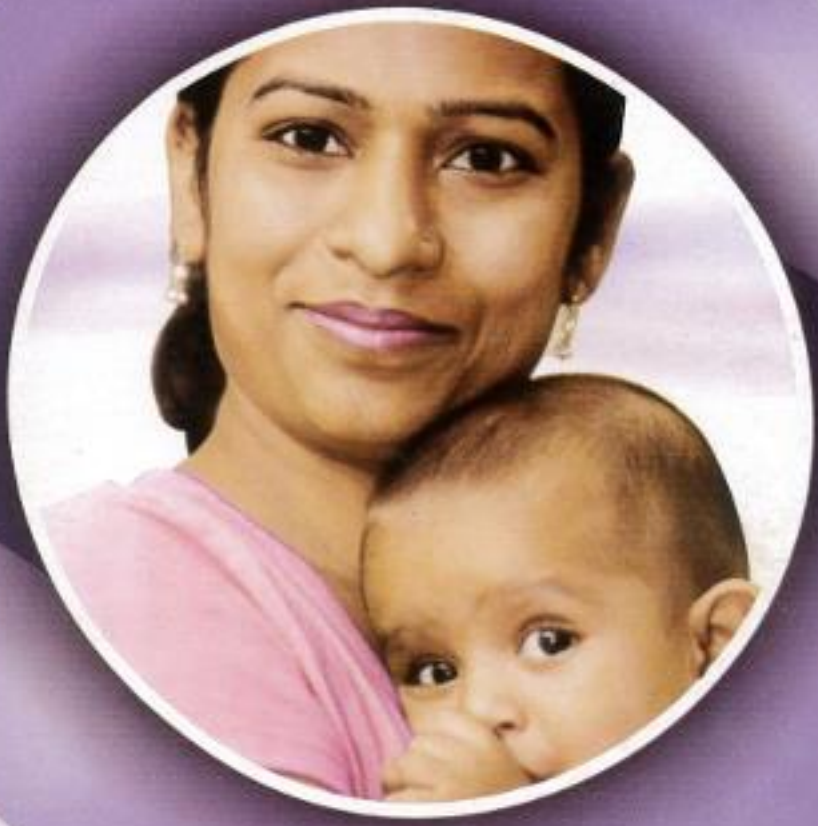

महिला एवं बाल विकास
विभाग, हरियाणा

राज्य सरकार महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। उनके कल्याण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा बालिका उत्थान पर विशेष बल दिया जा रहा है।

(क) महिलाओं से संबंधित योजनाएं

1. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिला स्तर पर संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पीड़ित महिलाओं को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड, जिला रैड क्रास समितियों, जिला बाल कल्याण परिषदों आदि 30 सेवा प्रदाताओं को पंजीकृत किया गया है तथा प्रत्येक जिले में महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष कक्ष भी स्थापित किये गये हैं।

2. तेजाब से पीड़ित महिलाओं के लिए राहत व पुनर्वास योजना

हरियाणा सरकार द्वारा तेजाब से पीड़ित महिलाओं के लिए राहत व पुनर्वास योजना चलाई जा रही है। जिसके अनुसार तेजाब पीड़िता को 3.00 लाख रूपये की राशि का मुआवजा गृह विभाग / हरियाणा राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण द्वारा दिया जाता है। जिसमें शरीर के किसी अंग का खत्म होना या प्लास्टिक सर्जरी का इलाज शामिल है। उपरोक्त 3.00 लाख रूपये की राशि में से 1.00 लाख रूपये की राशि पीड़िता को 15 दिन के अन्दर–अन्दर तदर्थ सहायता के रूप में प्रदान की जाती है तथा शेष 2.00 लाख रूपये की राशि दो मास के अन्दर दे दी जाती है। यदि पीड़िता के शरीर का कोई अंग खत्म या प्लास्टिक सर्जरी नही हुई है उस स्थिति में 50,000 रूपये का मुआवजा दिया जाता है। पीड़ित महिला की मृत्यु हो जाने पर 5.00 लाख रूपये मृतका के कानूनी उत्तराधिकारी को दिये जाते हैं। तेजा पीड़ित महिला / लड़की के ईलाज पर होने वाला शत–प्रतिशत खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। तेजाब पीड़िता का ईलाज सरकारी / हरियाणा सरकार द्वारा नामित हस्पताल में निःशुल्क किया जायेगा। तेजाब से पीड़ित महिलाओं के राहत व पुनर्वास हेतू राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर कमेटी का गठन भी किया गया है।

3. राज्य मिशन अथोरिटी की स्थापना

हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य मिशन का गठन किया गया है। मिशन द्वारा मंत्रालयों / विभागों की जैण्डर बजटिंग तथा महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के कार्य का मूल्यांकन व समीक्षा की जाती है। महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं / कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये मुख्यालय पर राज्य संसाधन केन्द्र भी कार्यरत है।

4. शिक्षा ऋण योजना

राज्य सरकार द्वारा लड़कियों / महिलाओं के लिए आसान शिक्षा ऋण योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत लड़कियों / महिलाओं को देश / विदेश में उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सबसिडी 5 प्रतिशत वार्षिक प्रदान की जाती है।

5. इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

यह परियोजना पंचकूला जिले में पायलट परियोजना के रुप में चलाई जा रही है। जिसके अन्तर्गत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को 6000 रूपये की राशि दो किस्तों में दी जाती है।

6. ग्रामीण महिलाओं के लिए खेल प्रतियोगिता

ग्रामीण महिलाओं को खेल एवं मनोरंजन के अवसर प्रदान करने के लिए खण्ड स्तर, जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर ग्रामीण महिला खेल प्रतियोगिता योजना चलाई जा रही है। खण्ड स्तर पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली तीन विजेताओ को क्रमशः 500 रूपये, 300 रूपये व 200 रूपये व जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली महिलाओं को क्रमशः 1000 रूपये, 750 रूपये तथा 500 रूपये के तीन पुरस्कार दिये जाते हैं । राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रमशः 3100 रूपये, 2100 रूपये तथा 1100 रूपये के ईनाम दिये जाते हैं। राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिता मे भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को 500 रूपये दिए जाते हैं।

7. विधवा एवं बेसहारा गृह (महिला आश्रम)

विभाग द्वारा विधवा एवं बेसहारा महिलाओं के आवास, रख–रखाव तथा प्रशिक्षण हेतू तीन महिला आश्रम करनाल, रोहतक तथा फरीदाबाद में चलाए जा रहे हैं। जिसमें महिला व उनके आश्रितों (प्रत्येक) को सरकार की ओर से 600 रूपये गुजारा भत्ता जमा 150 रूपये का कपड़ा भत्ता कुल 750 रूपये गुजारा भत्ता दिया जाता है तथा अकेली संवासी को 700 रूपये गुजारा भत्ता जमा 150 रूपये कपड़ा भत्ता कुल 850 रूपये प्रतिमाह दिया जाता है। संवासियों के आश्रित लड़कों को 16 साल की उम्र तक रखने का प्रावधान है। पिछले तीन वर्षो में लगभग 720 लाभार्थियों द्वारा लाभ प्राप्त किया गया है तथा इस योजना पर पिछले तीन वर्षो में 454.02 लाख रूपये का व्यय किया गया है।

8. हरियाणा राज्य उत्तर रक्षा गृह कन्या, करनाल (नारी निकेतन)

हरियाणा राज्य उत्तर रक्षा गृह कन्या (नारी निकेतन) करनाल में चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य लड़कियों / महिलाओं, जिनकी आय का कोई साधन न हो या जिन्हें नैतिक खतरों से बचाया जाना हो, की संस्थागत देखभाल, संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, रख रखाव, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। संवासियों को निःशुल्क कपड़े, भोजन, आवास, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

9. कामकाजी महिला आवास

कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित एवं सस्ती आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जिला रैडक्रास संस्था तथा नगरपालिकाओं द्वारा जिला स्तर पर 14 कामकाजी महिला आवास अम्बाला(2), गुड़गांव, पंचकूला, करनाल, कुरूक्षेत्र, जीन्द, यमुनानगर, सिरसा, फरीदाबाद, रोहतक(2) तथा हिसार(2) में चलाए जा रहे हैं। कामकाजी महिला जो अकेली, विधवा, तलाकशुदा, सम्बन्ध विच्छेद, विवाहिता परन्तु उसका पति या परिवार के अन्य सदस्य उसी शहर में न रहते हों तथा महिला जो एक वर्ष से अधिक कार्य प्रशिक्षण पर हो, कामकाजी महिला आवास के लिए पात्र हैं।

10. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र योजना

इस योजना के अधीन स्वैच्छिक संस्थाओं / अर्ध सरकारी संस्थाओं / कल्याण एवं अनुसंधान संस्थाएं जो हरियाणा में कार्यरत हैं और महिलाओं, बच्चों व किशोरियों को सेवाएं प्रदान करती हैं तथा सामाजिक बुराईयों जैसा कि दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं की कम साक्षरता दर व महिलाओं के प्रति हिंसा आदि को समाप्त करने के लिए सामाजिक एकजुटता अथवा अभियान चलाती हैं, को सहायक अनुदान प्रदान किया जाता है।

11. दहेज प्रतिषेध कार्यक्रम

दहेज की बुराई को समाप्त करने के लिए राज्य में दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया है। अधिनियम को अधिक प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी नामांकित किया गया है। राज्य के सभी उपमण्डल मजिस्ट्रेस एवं नगराधीशों को दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को परामर्श व सहायता देने के लिए सलाहकार बोर्ड / समितियों का गठन किया गया है।

12. हरियाणा राज्य महिला आयोग

महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की रक्षा करने, उनके विरूद्व भेदभाव तथा उत्पीड़न के मामलों में छानबीन करने के लिए राज्य में महिला आयोग गठित है। राज्य सरकार द्वारा हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 को पास करके आयोग को वैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया है।

13. हरियाणा महिला विकास निगम

कमजोर वर्ग की महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए महिलाओं के विकास की गतिविधियों को विकसित करने, जागृति जागरण, व्यवसायिक प्रशिक्षण व स्वरोजगार स्थापित करने के लिए संस्थागत वित्त का प्रबन्ध करने हेतू हरियाणा महिला विकास निगम कार्यरत है।

(ख) बच्चों से संबंधित योजनाएं

1. समेकित बाल विकास सेवाएं योजना (आई.सी.डी.एस.)

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं योजना 21 शहरी परियोजनाओं सहित 148 खण्डों में 25962 आँगनवाड़ी केन्द्रों जिनमें 512 मिनी आँगनवाड़ी केन्द्र भी

शामिल हैं,
के माध्यम से
चलाई जा रही हैं।
इस योजना के अन्तर्गत 6 वर्ष
से छोटे बच्चों, गर्भवती एवं दूध पिलाने
वाली माताओं को पूरक पोषाहार, रोग
प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य देखरेख, संदर्भित
सेवाएं, अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा तथा
स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा 15–45 वर्ष की
महिलाओं को समेकित रूप से प्रदान की जा
रही हैं।

2. समेकित बाल संरक्षण योजना (आई०सी०पी०एस०)

राज्य सरकार द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना चलाई जा रही है जिसके तहत जरूरतमंद बच्चों की देखरेख व कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं को कवर किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हरियाणा स्टेट प्रोटेक्शन सोसायटी तथा स्टेट प्रोजेक्ट स्पोर्ट यूनिट के माध्यम से चलाया जा रहा है। जिला स्तर पर इस योजना को लागू करने के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता मे जिला बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है।

जरूरतमंद बच्चों की देखरेख, सुरक्षा, विकास, पुनर्वास व इलाज के लिए राज्य में 90 बाल देखरेख सस्थायें सरकारी, अर्ध–सरकारी तथा निजी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही हैं। जिनमें से 3 सरकार द्वारा (हरियाणा राज्य बाल भवन मधुबन, करनाल, बाल ग्राम राई, सोनीपत तथा किशोर विकास सदन, सोनीपत), 6 अर्ध–सरकारी बाल/शैल्टर होम (शैल्टर होम रिवाड़ी, छछरौली, बाल गृह रेवाड़ी, छछरौली व झज्जर तथा बाल कुंज छछरौली), 4 ओबजरवेशन होम (अम्बाला, हिसार, फरीदाबाद तथा करनाल), एक स्पेशल होम (अम्बाला) तथा 76 निजी बाल देखरेख संस्थानों द्वारा चलाई जा रही है।

3. राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी

जो दम्पत्ति किसी कारणवश माता–पिता बनने में असमर्थ हैं, वह पहले www.adoptionindia.nic.in पर पंजीकरण करवायें। यदि उनके द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई एजेंसियों बाल ग्राम राई, सोनीपत, शिशु गृह, सैक्टर–15 पंचकूला या मरेकल चैरिटेबल फाऊंडेशन, फरीदाबाद में पंजीकरण करवाया गया है, तो वह आवश्यक दस्तावेजों के साथ दस दिन के अन्दर–2 संपर्क करें।

4. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

राज्य सरकार द्वारा बच्चों के संरक्षण, कल्याण तथा विकास के लिए बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 17(1) के अंतर्गत राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है।

5. सर्कस से मुक्त बच्चों के लिए पुनर्वास योजना

सरकार द्वारा बचपन बचाओ आन्दोलन के तहत सर्कसों में कार्य करने से मुक्त करवाये गये बच्चों के, पुनर्वास नामक योजना तैयार की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उपेक्षा, दुराचार, चोट, तस्करी और सभी प्रकार के शारीरिक शोषण से सर्कस में काम करने वाले बच्चों की सुरक्षा तथा उनका पुनर्वास किया जाना है।

6. आँगनवाड़ी भवन निर्माण की योजना

बच्चों को स्वच्छ एवं साफ–सुथरा वातावरण प्रदान करने एवं उनके लिए गावों में परिसम्पति सृजित करने हेतू आँगनवाड़ी भवनों के निर्माण की योजना चलाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा एक आँगनवाड़ी भवन की कुल अनुमोदित निर्माण लागत 9.95 लाख रूपये है। अपनाए गए मानदण्डों के अनुसार आँगनवाड़ी भवन उन गॉवों में बनाए जाते हैं, जहां पर पंचायत कम से कम 200 वर्ग गज भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवाती है।

7. शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार में सुधार योजना

बच्चों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार में सुधार योजना चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत राज्य में सभी आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस विषय पर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह माताओं एवं परिवारों को शिशुओं एवं बच्चों की आहार संबंधी आवश्यकताओं बारे जानकारी देकर शिक्षित कर सकें।

8. लाडली

राज्य में घटते लिंग अनुपात एवं कन्या भ्रूण हत्या की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक प्रोत्साहन आधारित योजना "लाडली" चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत दूसरी बेटी के जन्म पर 5000 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। हरियाणा के निवासी सभी माता–पिता जिनकी दूसरी बेटी 20–8–2005 को या इसके बाद पैदा हुई है, जाति/समुदाय/धर्म/आय एवं बेटों की संख्या के भेदभाव के बिना, इस नगद प्रोत्साहन राशि के पात्र हैं। छोटी बेटी की आयु 18 वर्ष होने पर परिपक्व राशि, वर्तमान ब्याज दरों पर लगभग 96000 रूपये दी जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत राशि को भारतीय जीवन बीमा निगम की योजना में निवेश किया जाता है।

(ग) किशोरियों से संबंधित योजनाएं

1. किशोरी शक्ति योजना

11–18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने, उनको गृह आधारित एवं व्यवसायिक कुशलताओं से सुसज्जित करने व इनमें सुधार लाने तथा उनमें स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषाहार, गृह प्रबन्ध, बाल देखभाल आदि के बारे में जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से किशोरी शक्ति योजना 15 जिलों के आई0सी0डी0एस0 प्रोजैक्टों में चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत बालिकाओं को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त 5.00 रूपये प्रतिदिन प्रति लाभपात्र की दर से पूरक पोषाहार भी दिया जाता है।

2. किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला)

राज्य सरकार द्वारा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला) 6 जिलों अम्बाला, हिसार, रिवाड़ी, रोहतक, यमुनानगर तथा कैथल में चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को अपने विकास तथा सशक्तिकरण, जीवन निपुणता तथा व्यवसायिक निपुणता को बढ़ाने, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषाहार, प्रजनन स्वास्थ्य बाल देख–रेख के प्रति जानकारी मे सक्षम करना तथा स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना है।

(घ) पुरस्कारों से संबंधित योजनाएं

1. महिलाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों मे उपलब्धियां प्राप्त करने वाली महिलाओं को प्रति वर्ष 1.00 लाख रूपये की राशि का इन्दिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड, 51000 रूपये की राशि का कल्पना चावला शौर्य अवार्ड, 51000 रूपये की राशि का बहिन शन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड तथा 21000 रूपये की राशि का लाईफ टाईम अचीवमैंट अवार्ड प्रदान किया जाता है। अवार्डस प्रदान करने हेतू प्रत्येक वर्ष अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2. ग्रामीण किशोर बालिकाओं को पुरस्कार

बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 'ग्रामीण किशोरी बालिकाओं को पुरस्कार' की योजना चलाई जा रही है। जिसके अन्तर्गत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रत्येक ग्रामीण खण्ड की तीन बालिकाओं को क्रमशः 2000 रूपये, 1500 रूपये व 1000 रूपये तथा 10+2 कक्षा में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को क्रमशः 3000 रूपये, 2500 रूपये व 2000 रूपये के पुरस्कार दिये जाते हैं।

3. घटते लिंग अनुपात में सुधार हेतू प्रोत्साहन पुरस्कार

लिंग अनुपात में सुधार लाने वाले जिलों को प्रतिवर्ष प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार क्रमशः 5.00 लाख रूपये, 3.00 लाख रूपय तथा 2.00 लाख रूपये दिया जाता है।

4. पोषण स्तर में सुधार के लिये जिला स्तर पर न्यूट्रीशन अवार्ड

हरियाणा में बच्चों में कुपोषण को घटाने के लिये जिला स्तर पर न्यूट्रीशन अवार्ड दिये जाते हैं, जिसके अंतर्गत प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले जिलों को क्रमशः 2.00 लाख रूपये, 1.00 लाख रूपये तथा 50000 रूपये की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है।

5. सर्वोत्तम माता पुरस्कार

बच्चों, विशेषकर लड़कियों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने हेतू उनके लालन–पालन के प्रति माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम माता पुरस्कार (बैस्ट मदर अवार्ड) योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत आई.सी.डी.एस. योजना के प्रत्येक सर्कल एवं प्रत्येक ब्लॉक में तीन–2 माताओं को जिनकी कम से कम एक लड़की है, का चुनाव प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के लिए किया जाता है। प्रत्येक खण्ड में 3 माताओं को क्रमशः 1000 रूपये, 750 रूपये और 500 रूपये के पुरस्कार दिए जाते है तथा सर्कल स्तर पर क्रमशः 500 रूपये, 300 रूपये और 200 रूपये के पुरस्कार दिए जाते हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा

पेज नं. 15–20, सैक्टर 4, पंचकूला,
दूरभाष नं. : 0172–2560349
वेबसाईट : www.wcdhry.gov.in